02

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	470/2021 भंवराराम / रेवतीदेवी हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
06/10/21	कार्यालय रिपोर्ट होकर पत्रावली आज प्रस्तुत हुई। पत्रावली दर्ज रजिस्टर करे। अधिवक्ता अपीलान्ट उपस्थित। अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस सुनी गयी। अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। अपील पत्रावली का अवलोकन किये जाने से यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पक्षकार नही था जिसके फलस्वरूप अपीलार्थी के लिये यह आवश्यक था कि वे अपील प्रस्तुतीकरण की इजाजत हेतु अपील के साथ प्रार्थना पत्र दफा-96 जाप्ता दीवानी प्रस्तुत करते जिसका संज्ञान इस अपील के प्रस्तुतीकरण के सन्दर्भ में सर्वप्रथम लिया जाना आवश्यक था कि अपीलार्थी अपीलाधीन आदेश से किस प्रकार प्रभावित है किन्तु अपीलार्थी द्वारा विचाराधीन प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पक्षकार नही होने के बावजूद इस अपील प्रस्तुतीकरण हेतु अपील के साथ प्रार्थना पत्र दफा-96 जाप्ता दीवानी प्रस्तुत नही किया गया है, जिसके अभाव में यह अपील इस न्यायालय के समक्ष संधारणीय ही नही है। अतः अपील अपीलार्थी प्रार्थना पत्र दफा-96 जाप्ता दीवानी के अभाव में संधारणीय नही होने से ख़ारिज की जाती है। तदनुसार पत्रावली फैसल शुमार बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। (हस्ताक्षर) 6/10/21 राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	

राजस्व अपील प्राधिकारी ... पुर (राजस्थान)